मकान किराया भत्ता/उत्तराखण्ड विकास भत्ता तथा अन्य भत्ते।

विषय सूची			
क्रं0सं0	विषय	शासनादेश संख्या तथा दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	सातवें वेतनमान में पुलिस विभाग की कतिपय शाखाओं के अन्तर्गत कार्यरत कार्मिको को देय विशेष भत्ता/विशेष (प्रोत्साहन) भत्ते की धनराशि को यथावत् (फ्रीज) रखे जाने विषयक।	सं0 62/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 18 फरवरी, 2019	163
2	"फ्लैट रेन्ट" की दरों में "चार गुना वृद्धि" किये जाने के स्थान पर "दो गुना वृद्धि" की जाने विषयक।	सं0 57/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 15 फरवरी, 2019	164
3	सातवें वेतनमान मे स्वैच्छिक कल्याण भत्ता की अनुमन्यता।	सं0 56/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 15 फरवरी, 2019	165
4	सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित मकान किराया भत्ता।	सं0 55/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 15 फरवरी, 2019	166–167
5	राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणो/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।	सं0 29/ XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	168
6	आयुष विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्य में नियमित एलोपैथिक चिकित्सको को उनके मूल वेतन का 15% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" अनुमन्य किये जाने विषयक।	सं0 27/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	169
7	एलोपैथिक चिकित्सकों हेतु सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA) ।	सं0 26/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	170
8	मा0 राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियो को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" पुनरीक्षित किया जाना।	सं0 25/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	171
9	मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधिशों की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य "प्रोत्साहन	सं0 24/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	172

	भत्ता''पुनरीक्षित किया जाना		
10	स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन मूल वेतन पुनरीक्षित विषयक।	सं0 23/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	173
11	स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन मूल वेतन पुनरीक्षित विषयक।	सं0 22/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	174
12	दिनांक 01.02.2019 से विभिन्न भत्ते समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 21/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	175
13	सातवें वेतन आयोग में पूर्व के भत्ते यथावत।	सं0 20/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	176
14	सातवें वेतनमान मे मकान किराया भत्ता	सं0 19/XXVII(7)18–50(14)/2017 दिनांक : 23 जनवरी, 2019	177–178
15	उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।	सं0 142/XXVII(7) विविध/2016 दिनांक : 16 अगस्त, 2017	179–180
16	रानीखेत (शहरी क्षेत्र), जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड में कार्यरत कर्मचारियों को ''बी–2'' श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिये जाने विषयक।	सं0 83/XXVII(7) 27(20)–2013–15 दिनांक : 24 अगस्त, 2015	181–182
17	शासकीय फील्ड कार्मिकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	सं0 96/XXVII(7)27(20)/2013 दिनांक : 09 जुलाई, 2015	183
18	राज्य सरकार के अधीन कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों एवं अपर निजी सचिवों/निजी सचिवों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते के सम्बन्ध में।	सं0 61/XXVII(7)32(3)/2009 दिनांक : 09 जून, 2015	184–185
19	उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु धुलाई भत्ता की दर का पुनरीक्षित किया जाना।	सं0 68/XXVII(7)10(08)/2005 दिनांक : 25 फरवरी, 2014	186–187
20	भीमताल (नैनीताल) में ''बी–2'' श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान	सं0 808/XXVII(7)27(20)/2013 दिनांक : 05 दिसम्बर, 2013	188–189

	किराया भत्ता अनुमन्य किया जाना।		
21	पर्वतीय विकास भत्ते के स्थान पर राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उत्तराखण्ड विकास भत्ता अनुमन्य किया जाना।	सं0 744(7)/ XXVII (7)27(20)/2013 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2013	**190–191**
22	कोटद्वारा दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिया जाना।	सं0 713/XXVII(7)27(20)/2013 दिनांक : 10 अक्टूबर, 2013	**192**
23	उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय वाहन चालकों हेतु धुलाई भत्ता की दर का पुनरीक्षित किया जाना।	सं0 692/ XXVII(7)10(08)/2013 दिनांक : 16 सितम्बर, 2013	**193–194**
24	ई–पेमेंट से सम्बन्धित साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन–भत्ते के भुगतान में कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छा के सम्बन्ध में।	सं0 696/ XXVII (7)/2013 दिनांक : 12 सितम्बर, 2013	**195**

(163)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — / XXVII(7)/18–50(14) / 2017
देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के कमांक–12, 14 एवं 15 में उल्लिखित भत्ते, जिन्हें समाप्त किया गया है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत निम्नांकित शाखाओं में कार्यरत कार्मिकों (अधिकारियो को छोड़कर) को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठवें वेतनमान) में देय विशेष भत्ता / विशेष (प्रोत्साहन) भत्ते की धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् (फ्रीज) रखते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत नियमित कार्मिक।
(2) स्पेशल टॉस फोर्स (एस.टी.एफ.) में कार्यरत नियमित कार्मिक।
(3) सतर्कता विभाग में कार्यरत नियमित कार्मिक।

2. उपरोक्त भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 62 (1) / XXVII(7)/18–50(14) / 2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी / वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः / /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय लिया गया है। के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–29/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 द्वारा राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु निर्धारित "फ्लैट रेन्ट" की दरों में "चार गुना वृद्धि" किये जाने के स्थान पर "दो गुनी वृद्धि" की जाय।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 57 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

(165)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 15 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 के द्वारा समाप्त किये गये "स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता" के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों को, जिन्हें स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता स्वीकृत है, को उक्त भत्ते की अपुनरीक्षित वेतनमान (छठवें वेतनमान) में देय धनराशि को पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् (फ्रीज) रखते हुए अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त कार्यालय–ज्ञाप जारी होने के पश्चात् उक्त भत्ता अब स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या–21/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 56 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

166

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः— /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक /5 फरवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

मकान किराये भत्ते की दरें पुनरीक्षित किये जाने सम्बन्धी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–19/XXVII(7)/18-50(14)/2017 दिनांक 23 जनवरी, 2019 को अतिकमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कार्मिकों तथा विभिन्न राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिकों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निम्न तालिकानुसार मकान किराया भत्ता पुनरीक्षित/संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम–3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1.	18000–56900 (लेवल–1)	2500	2100	1800
2.	19900–63200 (लेवल–2)	2500	2100	1800
3.	21700–69100 (लेवल–3)	2650	2200	1800
4.	25500–81100 (लेवल–4)	3100	2550	2050
5.	29200–92300 (लेवल–5)	3550	2950	2350
6.	35400–112400 (लेवल–6)	4250	3550	2850
7.	44900–142400 (लेवल–7)	5400	4500	3600
8.	47600–151100 (लेवल–8)	5750	4800	3850
9.	53100–167800 (लेवल–9)	6400	5350	4250
10	56100–177500 (लेवल–10)	6750	5650	4500
11	67700–208700 (लेवल–11)	8150	6800	5450
12	78800–209200 (लेवल–12)	9500	7900	6350
13	123100–215900 (लेवल–13)	12000	8000	7000
14	131100–216600 (लेवल–13A)	12000	8000	7000
15	144200–218200 (लेवल–15)	12000	8000	7000
16	182200–224100 (लेवल–16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल–17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड राज्य के बाहर नियुक्त हैं, को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर/शहर/स्थान में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो

Scanned by CamScanner

Forward - Camp

(167)

अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

7. मकान किराया भत्ता पूरे वर्ष में केवल 12 महिने का ही अनुमन्य होगा, भले ही किसी संवर्ग के कार्मिकों को वर्ष में एक माह का अतिरिक्त वेतन देय हो।

8. उक्तानुसार मकान किराया भत्ता दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य होगा।

9. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 55 (1)/XXVII(7)/18-50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक, आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. संयोजक, उत्तराखण्ड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

Scanned by CamScanner

(168)

संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

विषयः– राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वधीन आवासों के किराये (फ्लैट रेन्ट) का पुनर्निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन/स्वामित्वाधीन समस्त आवासों, जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों को किया जाता है, हेतु वर्तमान में निर्धारित "फ्लैट रेन्ट" की दरों में चार गुना वृद्धि दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य सम्पत्ति विभाग के शासनादेश संख्या–1634 दिनांक 04 जनवरी, 2019 के अनुरूप किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। पूर्व निर्धारित शेष शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 29 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
10. निदेशक, शहरी विकास विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(169)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित आयुष चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 15% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 27 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, आयुर्वेदिक, यूनानी सेवायें एवं होम्योपैथिक निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(170)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत क्लीनिकल कार्यों में रत नियमित एलोपैथिक चिकित्सकों को सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 20% "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" दिनांक 01 फरवरी, 2019 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रशासनिक कार्यों में नियुक्त/कार्यरत चिकित्सक, यदि वे अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ–साथ सप्ताह में कम से कम दो दिन क्लीनिकल कार्य करते हैं, तो उन्हें भी उपरोक्त दरों पर "प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (NPA)" देय होगा।

3. उक्तानुसार स्वीकृत प्रैक्टिस बन्दी भत्ता एवं मूल वेतन का कुल योग रू0 2,25000.00 (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) से अधिक नहीं होगा।

4. प्रैक्टिस बन्दी भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

/

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २६ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(171)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः — /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक२३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1073/836/XX-1/11-83/05 दिनांक 24 मार्च, 2011 द्वारा मा0 राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/–प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्ते एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः२५ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(172)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–536/XX(8)/2015-07(1)/2010 दिनांक 13 जुलाई, 2015 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के मा0 मुख्य न्यायाधीश एवं मा0 न्यायाधीशों की वैयक्तिक सुरक्षा में तैनात नियमित पुलिस कर्मियों को अनुमन्य "प्रोत्साहन भत्ता" की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/–प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २५ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(173)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–2086/XX-1/13-11(04)/2013 दिनांक 09 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदेश में स्टेट डिजास्टर रिस्पोंस फोर्स (एस0डी0आर0एफ0) में कार्यरत नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/– प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २३ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
10. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(174)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–718/648/XX-1/10-174/02 दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 द्वारा आतंकवाद निरोधक दस्ता (ए.टी.एस.) के नियमित कार्मिकों को स्वीकृत जोखिम भत्ते की दरों को पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 फरवरी, 2019 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना में उनके मूल वेतन का 10% तथा अधिकतम रू0 12500/– प्रतिमाह पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त भत्ता तैनाती अवधि में ही अनुमन्य होगा।

3. उपरोक्त भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २२ (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
9. सम्बन्धित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(75)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः २। /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक२३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों को दिनांक 01–02–2019 से समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता।
(2) प्रतिनियुक्ति भत्ता।
(3) प्रशिक्षण भत्ता।
(4) जी0 पी0 एफ0 पासबुक रखरखाव के लिए अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।
(5) कैश (रोकड़) भत्ता।
(6) द्विभाषी भत्ता/कम्प्यूटर भत्ता।
(7) आई0पी0ए0ओ0 भत्ता (कोषागार/उपकोषागार)।
(8) सचिवालय में तैनाती पर विशेष भत्ता।
(9) स्नातकोत्तर भत्ता।
(10) राजस्व विभाग के संग्रह अमीनों को देय लेखन सामग्री भत्ता।
(11) लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नियोजन/डिजाइन/शोध/प्रशिक्षण अन्वेषणालय हेतु विशेष वेतन एवं सहायक प्रतिपूर्ति भत्ता।
(12) अपराध अनुसंधान एवं अभिसूचना विभाग में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(13) अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में कार्यरत कार्मिकों को अनुमन्य विशेष प्रोत्साहन भत्ता।
(14) स्पेशल टॉस फोर्स (एस.टी.एफ.) को अनुमन्य विशेष भत्ता।
(15) सतर्कता विभाग में तैनात कार्मिकों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २। (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

176

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः —/XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित भत्तों के सम्बन्ध में अपुनरीक्षित वेतनमानों में देय धनराशि को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन मैट्रिक्स) में भी यथावत् रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पर्वतीय विकास भत्ता
(2) सीमान्त विकास खण्ड भत्ता
(3) वाहन भत्ता
(4) सचिवालय विशेष भत्ता
(5) सचिवालय परिचारकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(6) सचिवालय चालकों को विशेष प्रोत्साहन भत्ता
(7) नागरिग उड्डयन निदेशालय, उत्तराखण्ड के पायलटों/अभियन्ताओं तथा कर्मचारियों को देय योग्यता भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, विशेष उड़ान भत्ता तथा ऐवियेशन भत्ता।
(8) पुलिस विभाग में कार्यरत कार्मिकों को वर्तमान में अनुमन्य पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी एवं धुलाई भत्ता
(9) चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत कार्यरत फार्मासिस्ट को अनुमन्य इंचार्ज भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(10) नर्सिंग संवर्ग के कार्मिकों को नर्सिंग एवं बोर्डिंग (पौष्टिक आहार भत्ता) भत्ता, वर्दी भत्ता एवं धुलाई भत्ता
(11) अति दुर्गम/दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सा विभाग के चिकित्सकों को अनुमन्य विशेष प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
(12) राजस्व विभाग के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में तैनात राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व उप निरीक्षक को अनुमन्य स्टेशनरी भत्ता, गोशवारा भत्ता एवं कार्यालय किराया भत्ता।

2. नई नियुक्ति/पदोन्नति/एम0ए0सी0पी0 इत्यादि की स्थिति में पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्त भत्ते समतुल्य अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन के सापेक्ष अनुमन्य होंगे।
3. उपरोक्त भत्तों के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः २० (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(177)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0 आ0–सा0 नि0) अनुभाग–7
संख्याः— /XXVII(7)/18–50(14)/2017
देहरादूनः दिनांक23जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2019 से निम्नानुसार मकान किराया भत्ता को संशोधित/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रू0 में)

क्र. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम–3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1.	18000–56900 (लेवल–1)	2500	2100	1800
2.	19900–63200 (लेवल–2)	2500	2100	1800
3.	21700–69100 (लेवल–3)	2500	2100	1800
4.	25500–81100 (लेवल–4)	2500	2100	1800
5.	29200–92300 (लेवल–5)	2650	2100	1800
6.	35400–112400 (लेवल–6)	3200	2500	1800
7.	44900–142400 (लेवल–7)	4050	3150	2250
8.	47600–151100 (लेवल–8)	4300	3350	2400
9.	53100–167800 (लेवल–9)	4800	3750	2700
10	56100–177500 (लेवल–10)	5050	3950	2850
11	67700–208700 (लेवल–11)	6100	4750	3400
12	78800–209200 (लेवल–12)	7100	5550	3950
13	123100–215900 (लेवल–13)	11100	8000	6200
14	131100–216600 (लेवल–13A)	11800	8000	6600
15	144200–218200 (लेवल–15)	12000	8000	7000
16	182200–224100 (लेवल–16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल–17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान

किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जायेगें।

7. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 19 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

179

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः —/XXVII(7)विविध/2017

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,**
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, जुलाई, 2017

विषयः उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की अनुमन्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश सं0–323/XVII-3/13-09(17)2004 दिनांक 12 जून, 2013 एवं सं0–636/XVII-3/16-9(17)2004 TC दिनांक 17 जून, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उपनल के माध्यम से संविदा पर नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था उपबन्धित की गई है।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से कतिपय विभागों/सार्वजनिक उपक्रमों में नियोजित समान श्रेणी के कार्मिकों को वेतन/भत्ते एवं सुविधाओं का भुगतान भिन्न–भिन्न दरों के अनुसार किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप राज्यान्तर्गत समान प्रकृति के कार्य हेतु संविदा पर नियोजित कार्मिकों के वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं की दरों में भिन्नता के कारण अन्य स्रोतों से भी मांग उत्पन्न हो रही है साथ ही संविदा पर नियोजित उन कार्मिकों में असंतोष व्याप्त हो रहा है जिनको उक्त शासनादेशों में उपबन्धित व्यवस्था से कम भुगतान किया जा रहा है।

3. उल्लेखनीय है कि वेतन–भत्तों के निर्धारण सम्बन्धी कार्य वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 द्वारा व्यवहरित किए जाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कतिपय विभागों/संस्थाओं द्वारा वित्त विभाग की सहमति के बिना ही सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्तों की अनुमन्यता सम्बन्धी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इन कार्मिकों के वेतन–भत्तों के निर्धारण में असंगति उत्पन्न हो रही है।

क्रमशः.....2

Missing 1st page

180

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभागों/सरकारी उपकमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी निकायों में उपनल एवं अन्य सेवा प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन–भत्ते की दरों का निर्धारण सैनिक कल्याण विभाग के उपरोक्त वर्णित शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा। इससे इतर की गई कार्यवाही वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जायेगी जिसके लिए सम्बन्धित स्वीकृति प्रदाता अधिकारी तथा आहरण–वितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि किसी विभाग द्वारा उक्त वर्णित शासनादेशों से इतर वेतन/भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य की गई हैं तो अतिरिक्त रूप से अनुमन्य की गई सुविधायें तत्काल समाप्त की जाय। उपनल के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के वेतन/भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः / ५२ (1)/XXVII(7)विविध/2016/तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मंडल, पौड़ी/कुमांऊ मंडल, नैनीताल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया इस शासनादेश को राज्य सरकार की वैब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

(181)

संख्याः / XXVII(7)27(20)-2013-15

प्रेषक,

डॉ एम0सी0 जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांक 24 अगस्त, 2015

विषयः **रानीखेत (शहरी क्षेत्र), जनपद अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड में कार्यरत कर्मचारियों को "बी–2" श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिये जाने विषयक।**

महोदय,

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिए गए निर्णय के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्याः 38/XXVii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या–61/XXVii म0कि0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 एवं समय–समय पर यथा संशोधित शासनादेशों में इंगित तालिकाओं के अनुसार राज्य में अवस्थित नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "बी–2", "सी" एवं "अवर्गीकृत" श्रेणी में विभाजित करते हुए वहां कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को, जो अधिष्ठान आय–व्ययक से लागू नवीन वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं, को संशोधित मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में रानीखेत (शहरी क्षेत्र), जनपद अल्मोड़ा में तैनात राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों एवं राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को "बी–2" श्रेणी का मकान किराया भत्ता दिनांक 01 सितम्बर, 2015 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. उक्त वर्णित शासनांदेशों में निहित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जाय। शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

भवदीय,

(डॉ एम0सी0 जोशी)
सचिव।

182

संख्याः 83 /XXVII(7)27(20)-2013-15 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तरांखण्ड, देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
7. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त की 100 प्रतियां प्रकाशित करते हुए वित्त अनुभाग–7 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।
10. सम्बन्धित कोषागार।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Deepak

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

(183)

संख्या– 96 /XXVII(7)27(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 09 जुलाई जून, 2015

विषयः– **शासकीय फील्ड कार्मिकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–745/xxvii(7)27(20)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं शासनादेश संख्या–779/XXVII(7) 27 (20)/2013 T.C. दिनांक 12.11.2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन विभागों में फील्ड कर्मचारी निजी वाहन से शासकीय कार्यो का सम्पादन करते हैं, उन विभागों के विभागाध्यक्ष के स्थान पर आहरण–वितरण अधिकारी और यदि वह स्वयं आहरण वितरण अधिकारी हो तो उनसे उच्च अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा कि सम्बन्धित कर्मिक द्वारा शासकीय कार्यो में निजी वाहन का प्रयोग किया जा रहा है, तदोपरान्त ही उन्हें वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

2. उपर्युक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 2013 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः (184) /XXVII(7)30(5)/2009

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांकः 09 जून, 2015

विषयः राज्य सरकार के अधीन कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों एवं अपर निजी सचिवों/निजी सचिवों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ते के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजकीय कार्मिकों को कम्प्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 845/वि0अनु–3/2002–2003 दिनांक 11 मार्च, 2003 सपठित शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 1986 एवं शासनादेश संख्या–394/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 द्वारा राज्य सचिवालय एवं समकक्ष कार्यालयों तथा अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों एवं अपर निजी सचिवों/निजी सचिवों को कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2– वर्तमान युग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। वर्तमान में उत्तराखण्ड सचिवालय तथा राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों में लगभग सभी कार्य कम्प्यूटर पर सम्पादित किये जा रहे है तथा वर्तमान में राज्य सरकार के कार्यालयों में मैनुवल टंकण मशीनों की स्थिति नगण्य हो चुकी है। भविष्य के लिये प्रस्तावित ई–फाईलिंग व्यवस्था के तहत पूर्ण रूप से कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी टंकण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त राज्य सचिवालय एवं समकक्ष कार्यालयों तथा अन्य राजकीय कार्यालयों में कार्यरत द्विभाषी टंककों तथा द्विभाषी आशुलिपिकों/वैयक्तिक सहायकों एवं अपर निजी सचिवों/निजी सचिवों की सेवा नियमावलियों में कम्प्यूटर से सम्बन्धित शैक्षिक अर्हता/ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में प्रश्नगत भत्ता दिये जाने का औचित्य नहीं रह गया है ।

3– इस सम्बन्ध में शासन द्वारा विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 845/वि0अनु–3/2002–2003 दिनांक 11 मार्च, 2003 सपठित शासनादेश दिनांक 30 जुलाई, 1986 (उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में) एवं शासनादेश संख्या–394/XXVII(7)/2009 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

उपरोक्त आदेशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

क्रमश.....2

संख्याः 61 (1)/xxvii(7)32(3)/2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल।
6. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मंडलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, लेखा हकदरी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।

(186)

संख्याः 68 /xxvii(7)10(08)/2005

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः 25 फरवरी, 2014

विषयः–उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों हेतु धुलाई भत्ता की दर का पुनरीक्षित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या–158/xxxi(4)/(एम)/04/8(3)2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–628/xxvii(7) धु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय तथा उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कार्मिको हेतु पूर्व में अनुमन्य धुलाई भत्ता क्रमशः रू0 20/– एवं रू0 30/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 90/– प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव से पूर्व शर्तों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त भत्ते की दर के उक्तवत् पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–158/xxxi(4)/(एम)/04/8(3)2005 दिनांक 15 अप्रैल, 2005 एवं शासनादेश संख्या–628/xxvii(7)धु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 68 (1)/XXVII(7)10(08)/2005 तददिनॉक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशसनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(188)

संख्याः–808 /xxvii(7)27(20)/2013 टी0सी0

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 05 ~~नवम्बर~~ दिसम्बर 2013

विषयः– भीमताल (नैनीताल) में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या–38/xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009, संख्या–61/xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 एवं संख्या–713/xxvii(7) 27(20)/2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 के क्रम में पुनः विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि भीमताल (नैनीताल) में तैनात कार्मिकों को भी तत्कालिक प्रभाव से "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उर्पयुक्त शासनादेशों में निहित व्यवस्था इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 808 (1)/XXVII(7)27(20)2013 टी0सी0 तददिनॉक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, दैहरादून।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
अपर सचिव।

190

संख्याः 744 /XXVII(7)27(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

पर्वतीय

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादूनः दिनॉकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– पर्वतीय विकास भत्ते के स्थान पर राज्य के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में समान रूप से उत्तराखण्ड विकास भत्ता अनुमन्य किया जाना।

महोदय,

पर्वतीय विकास भत्ता की अनुमन्यता विषयक शासनादेश संख्या–692/वि0अनु–3/2002 दिनांक 11 फरवरी, 2003 में पर्वतीय क्षेत्र यथा जनपद अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं रूद्रप्रयाग का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं पौड़ी गढवाल के 1500 मीटर तथा अधिक ऊंचाई के क्षेत्र जबकि मैदानी क्षेत्र के यथा जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा जनपद नैनीताल, देहरादून, टिहरी गढवाल और पौडी गढवाल के 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। तदोपरान्त वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों के कम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–39/xxvii(7)प0वि0भ0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 द्वारा पर्वतीय विकास भत्ते की दरों में पुनरीक्षण किया गया जिसमें 1000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पडने वाली घाटियों (भले ही इनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो, परन्तु इनका चिन्हीकरण हो गया हो) में पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य किया गया है। उक्तानुसार 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य नही हो पा रहा है इसी प्रकार जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार का सम्पूर्ण क्षेत्र मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहां पर भी कार्यरत कार्मिकों को पर्वतीय विकास भत्ता अनुमन्य नही हो पा रहा है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–39/xxvii(7)प0वि0भ0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 के अनुसार पूर्व की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य पर्वतीय विकास भत्ता के स्थान पर अब दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से ''उत्तराखण्ड विकास भत्ता'' उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में निर्धारित दर से पर्वतीय एवं मैदानी, दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 744 (1)/XXVII(7)27(20)2013 तददिनॉक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
8. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(192)

संख्याः 713 /xxvii(7)27(20)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 10 अक्टूबर, 2013

विषयः– कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–जी–1–373/दस–99–205–99 दिनांक 11 जून, 1999, संख्या– जी–1–889/दस–99–205–99 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–132/वित्त अनु–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों के मकान किराया भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण किया गया, जिसमें श्रेणी के आधार पर नगर/क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें "सी" श्रेणी में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पौड़ी गढ़वाल (शहरी क्षेत्रों) को वर्गीकृत किया गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौडी गढवाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया था। तदोपरान्त वेतन समिति, 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में मकान किराया भत्ता के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–38/xxvii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं संख्या–61/xxvii म0कि0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 द्वारा मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है, जिसमें पौड़ी, देहरादून एवं नैनीताल के सभी क्षेत्रों को "बी–2" श्रेणी में रखा गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौडी गढवाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ "अवर्गीकृत" श्रेणी में रखा गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

(193)

संख्याः 692 /xxvii(7)10(08)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादूनः दिनॉकः 16 सितम्बर, 2013

विषयः– उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय वाहन चालकों हेतु धुलाई भत्ता की दर का पुनरीक्षित किया जाना।

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 628/XXVII(7)/धु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में राजकीय वाहन चालकों को देय धुलाई भत्ता की दर को रू0 45/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 90/– प्रतिमाह तात्कालिक प्रभाव से पूर्व शर्तों के अधीन पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त भत्ते की दर के उक्तवत् पुनरीक्षण के फलस्वरूप शासनादेश संख्या–628/XXVII(7)/धु0भ0/2010 दिनांक 27 जुलाई, 2010 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 692 (1)/XXVII(7)10(08)/2013 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
6. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 1000 प्रतियां प्रकाशनार्थ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

(195)

संख्या– 696 /xxvii(7)/2013

प्रेषक,

एल0एन0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड,
23–लक्ष्मीरोड़, डालनवाला, देहरादून।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादून : दिनांक 12 सितम्बर, 2013

विषयः ई–पेमेंट से संबंधित साफ्टवेयर के माध्यम से वेतन–भत्ते के भुगतान में पर कतिपय स्तरों से की जा रही पृच्छा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक संख्या– 857/नि0को0वि0सें0/ई–पेमेंट/2013 दिनांक 26 अगस्त, 2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जो मकान किराये भत्ते के संबंध में शहरी क्षेत्र की सीमा तय करने व पर्वतीय विकास भत्ता विषयक है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया माह जुलाई, 2013 के कतिपय विभाग के कर्मचारियों के वेतन में एच0आर0ए0 की दरों में किस आधार पर परिवर्तन किया गया है, से अवगत कराने का कष्ट करें।

शासनादेश संख्या–जी–1–1795/दस–81, 209–81, दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 में यह स्पष्ट प्राविधान है कि मकान किराया भत्ता संबंधित नगर की अर्हकारी सीमा के बाहर 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कार्यालयों में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय होगा, चाहे संबंधित सरकारी सेवक कहीं भी निवास करता हो। 8 किलोमीटर की दूरी सबसे कम दूरी वाले मार्ग से मापी जायेगी और इसकी पुष्टि पूर्व की भांति जिलाधिकारी से करानी आवश्यक होगी। इसी प्रकार पर्वतीय विकास भत्ते के विषय में जारी शासनादेश संख्या– 39/xxvii(7)प0वि0भ0/2013 दिनांक 13 फरवरी, 2009 का प्रस्तर–5 स्वयं में स्पष्ट है। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल0एन0 पन्त,
अपर सचिव।